

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

कोटेशन हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कार्यालय प्रयोगार्थ कम्प्यूटर प्रिन्टर 88-ए एवं 78-ए हेतु नये कार्टिज टोनर के आपूर्ति एवं रिफिलिंग हेतु मान्यता प्राप्त पंजीकृत फर्मों से कोटेशन दिनांक 19/07/2017 के अपरान्ह 02 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर में आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- |   |              |
|---|--------------|
| 1-टोनर कार्टिज 88-ए (एच.पी.) नया                          | - प्रति अदद, |
| 2-टोनर कार्टिज 78-ए (एच.पी.) नया                          | - प्रति अदद, |
| 3-टोनर कार्टिज 88-ए (एच.पी.) पुराना रिफिलींग              | - प्रति अदद, |
| 4-टोनर कार्टिज 78-ए (एच.पी.) पुराना रिफिलींग              | - प्रति अदद, |
| 5-टोनर कार्टिज 88-ए (एच.पी.) पुराना रिफिलींग मय ड्रम सहित | - प्रति अदद, |
| 6-टोनर कार्टिज 78-ए (एच.पी.) पुराना रिफिलींग मय ड्रम सहित | - प्रति अदद, |


प्राप्त कोटेशन दिनांक 20/07/2016 को कय समिति के समक्ष खोला जायेगा। विलम्ब से प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा और न्यूनतम दर का कोटेशन स्वीकार किया जायेगा।

देयको का भुगतान नियमानुसार जी.एस.टी. एवं आयकर कटौती के उपरान्त ही किया जायेगा।

सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चस्पा किया जाये।

- 1- नोडल आफिसर, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
- 2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 3- नोटिस बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- 4- नोटिस बोर्ड, सूचना विभाग, गाजीपुर।
- 5- नोटिस बोर्ड, तहसील सदर, गाजीपुर।
- 6- नोटिस बोर्ड, विकास भवन, गाजीपुर।
- 7- नोटिस बोर्ड, जिला परिषद, गाजीपुर।
- 8- नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
- 9- नोटिस बोर्ड, वाह्य न्यायालय सैदपुर, गाजीपुर।
- 10- नोटिस बोर्ड, वाह्य न्यायालय मु0बाद, गाजीपुर।

दिनांक-07/07/2017



(अवध बिहारी सिंह)

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (पी.ए.) ऐक्ट/

अध्यक्ष, कय समिति,

जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

Analyst